ग्राम पंचायत खड़ानाल, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176115 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खड़ानाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रोहित जम्बाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती समंजू कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री बलबीर सिंह	01.04.2022 से 12.04.2023
2	श्री अजय कुमार	13.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल	01.04.2022 से 21.06.2022
2	श्री सुरेश कुमार	22.06.2022 से 31.03.2024

(ख)गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत खड़ानाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	4.79
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.22
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.17
4	8.1	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
5	8.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित रूप से जमा करने बारे	0.05
7	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.68
8	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	1.20
9	9.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करने बारे	2.85
10	10	निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	1.83
11	11	पंचवटी पार्क नजदीक पंचायत घर खड़ानाल के लिये खेल सामग्री खरीदने हेतु अनियमित भुगतान करने बारे	0.58
12	12.1	व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.15
13	12.2	पंचायत सदस्यों व पंचायत चौकीदार को मानदेय के रूप में राशि का अनुचित/अधिक भुगतान करना	0.07
14	13	अंकेक्षण अवधि 2022—23 व 2023—24 की ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि की आय—व्यय प्रविष्टियों की बैंक में पुष्टि न होना	5.29

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत खड़ानाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.02.2025 से 15.02.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	12/2022	03/2023
2023–24	03/2024	08/2023

अस्वीकरण(Disclaimer):–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/112 दिनांक–15.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/91 दिनांकः–05.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1699799.39	1124365.00	2824164.39	945207.00	1878957.39
2023-24	1878957.39	621714.00	2500671.39	1042590.00	1458081.39

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1687104.30	2590721.00	4277825.30	2493261.75	1784563.55
2023-24	1784563.55	2230469.00	4015032.55	2693443.00	1321589.55

कुल योग (1+2)1458081.39+1321589.55=**2779670.94**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹2779670.94/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** अनुसार अन्तशेष ₹2301052.07/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्/ एस.डी.पी/ वी. के .वी .एन. वाई/एस.डी.आर.एफ/पी.एम. बाईं/एस.बी.एम./सी.एस.सी.	के. सी .सी. बैंक बैजनाथ	20016004974	840714.22
2	वी. के .वी .एन. वाई	एच.डी.एफ.सी बैंक.बैजनाथ	23491450000685	56250
4	14वां वितायोग	एच.डी.एफ.सी बैंक.बैजनाथ	50100228981360	1774.60
5	15 वां वितायोग	केनरा बैंक.बैजनाथ	5073101003997	1318208.25
6	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			84105
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹2301052.07
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹2779670.94
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—				₹2301052.07
अन्तरः—				478618.87

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.79 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹478618.87/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है, जो पंचायत की सच्वी एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है तथा अंकेक्षण में इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/99 दिनांकः—10.02.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—107 दिनांकः—15.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वःस्त्रोत पांचवा वित, (एस.डी.पी, वी.के.वी.एन.वाई, एस.डी.आर.एफ, पी.एम.ए.वाई, एस.बी.एम) व सी.एस.सी आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20016004974 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता एवं नियमों/निर्देशों के

विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/102 दिनांकः–11.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही नकद/इम्प्रेस्ट रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है, क्योंकि नियमाविरूद्ध हस्तगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रो• ब• पृ•	दिनाँक	निर्धारित सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	निल	26.04.2022	81467
2.	निल	30.06.2022	81905
3.	निल	31.08.2022	82305
4.	निल	31.01.2023	82305
5.	निल	20.03.2023	82305
6.	निल	31.12.2023	82305
7.	निल	31.03.2024	82305

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव

उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹6,90,341.34 से ₹8,40,714.22 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/111 दिनांकः 15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 107 दिनांक 15.02.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹13.22/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/91 दिनांकः–05.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹13,21,589.55/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	56321
2	एस.डी.पी	31.03.2024	20000
3	14वॉं वित्त	31.03.2024	15010.30
4	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1230258.25
		कुल जोड	**1321589.55**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/100 दिनांक–11.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7 सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹1.17/- लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/91 दिनांकः–05.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''4''** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹1,17,398**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट ''4''** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/101.(क) दिनांकः–11.02.

2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—107 दिनांक:—15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से संबंधित मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर को भी तैयार करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹0.03/- लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल.श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण व प्रस्तुत **परिशिष्ट—5** के अनुसार 32 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कम राशि प्राप्त की गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹3400 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम प्राप्त की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/101 दिनांक:—11.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत खडानाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—107 दिनांक:—15.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त राशि की प्राप्ति न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब प्राप्ति करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.05/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित रूप से जमा करने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/91 दिनांकः–05.02.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹5000 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक भी है।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/101 दिनांकः–11.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.68 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत खड़ानाल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹67700/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था एवं क्रय सामग्री के मांग अनुरूप होने की अंकेक्षण में पुष्टि सम्भव न हो सकी।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/105 दिनांकः–14.02.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15. 02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.20/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खड़ानाल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि **₹119860.15/–** के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका एवं समुचित, पारदर्शी लेखांकन के अभाव में इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/106 दिनांकः–14.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर

लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹2.85/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **₹285218.08/–** का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/107 दिनांकः–14.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान

समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹1.83/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03/2023 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹**1,82,681/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.14वां वित	106,103,102, 101,100/29 .03.2023,20. 03.23	063,508,230,297 307/28.03. 23,27.02.23,26. 02.23,15.03. 23/मस्टर रोल 12278	मुरम्मत रास्ता संजीव मशीन से लेकर मुल्तान के घर की ओर वार्ड–3	98112	माप–पुस्तिका,34–सी
2.15वां वित	44/13.03. 23	297309/10.03. 23	आंगनवाडी शौचालय खडानाल वार्ड–2	15362	प्रस्ताव, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
3.15वां वित	52,34/17. 03.23,16.08. 23	297297,249/16. 03.23,04.08.23	मुरम्मत व रख–रखाव रास्ता अजय जम्बाल के घर से कुलदेव के घर की ओर वार्ड–3	69207	प्रस्ताव, प्राक्कलन माप–पुस्तिका,34–सी
			कुल योग	**182681**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/104 दिनांकः–13.02.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांक 15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 निर्माण कार्य पंचवटी पार्क नजदीक पंचायत घर खड़ानाल के लिये खेल सामग्री खरीदने हेतु राशि ₹0.58/– लाख का अनियमित भुगतान करने व अन्य अनियमितताओं बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा पंचवटी पार्क नजदीक पंचायत घर खड़ानाल वार्ड –7 के लिये खेल सामग्री खरीदने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹57800/– का भुगतान किया गया था। व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गईः–

1.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रो द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है। चयनित मास 03/2023 के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रकिया को पूर्ण किये बिना ही पंचवटी पार्क नजदीक पंचायत घर खड़ानाल के लिये राशि ₹57800 की सामग्री खरीदी गई। जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना के दृष्टिगत अनियमित तथा आपतिजनक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ₹57800 का अनियमित भुगतान किया गया।

2.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कि प्रधान,उप प्रधान ,दो वार्ड सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा नामित किये गये हो व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा गठन नहीं किया गया था।

3.उपरोक्त राशि की सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा निविदाये आमत्रित किये बिना ही क्रय की गई।

4.उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से किया जाना वांछित था, तथा यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया जा सकता है ,परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

5.उक्त क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसम्पति स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

6.अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए:— प्राक्कलन, अनुबंध,आपूर्ति आदेश,माप—पुस्तिका।

क्र0सं0व अनुदान	वाचर सं. /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0/ दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि (₹)
1.14TH FC	89/10.03.2023	M/s Mehras Sports &Fitness Tika Nihang Kesar Bag Colony Palmpur	MSF/572/22-23/10.03.23	Sports Material (Including GST)			57800

उक्त अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति पूर्ण तथ्यो सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/108 दिनांक:—14.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—107 दिनांक:—15.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का क्रय बिना टेंडर किये व बिना निविदायें आंमत्रित किये किया गया, भविष्य में नियमानुसार सामग्री क्रय की जाएगी तथा अन्य अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि का व्यय नियमो की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः मामला उच्चाधिकारियो के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले की छानबीन व पड़ताल करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.1 व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.15/—लाख का अधिक भुगतान करना:—

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या— SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808, Dated:-25-05-2022 के प्रावधान The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the

actual total cost of the work by applying the following formula:—Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये कार्य में उक्त नियमानुार भुगतान न करके ₹15431 का अधिक भुगतान किया गया था:—

अनुदान	वाउचर सं0 / दि0	बिल सं0 / दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1मनरेगा	निल / 05. 08.23	मस्ट्रोल संख्या— 1499	नि0 गौशाला शिमरो देवी पत्नी दिलवर सिंह वार्ड 2	59692 (35815+(35815X 2/3)	75123	15431

उक्त मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 110 दिनांक:—14.02.2025 द्वारा पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 107 दिनांक:—15.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके अधिक भुगतान किया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त किये गये अधिक भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.2 पंचायत सदस्यों व पंचायत चौकीदार को मानदेय के रूप में राशि ₹0.07 / — लाख का अनुचित / अधिक भुगतान करने बारे:—

ग्राम पंचायत द्वारा 7 पंचायत सदस्यों को अवधि 01.07.2022 से 01.09.2022 के लिये आयोजित हुई 4 बैठकों (क्रमशः दिनांक 20.07.22, 04.08.22, 20.08.22 तथा 06.09.22), प्रति बैठक ₹300 की दर से, के स्थान पर 6 बैठकों का व पंचायत चौकीदार को बकाया भुगतान अवधि 01.04.2022 से 30.11.2022 प्रतिमास ₹900 व मानदेय अवधि 01.02.2023 के लिये प्रतिमास ₹6500 की दर से भुगतान करने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹6900 / — का अनुचित / अधिक भुगतान व्यय किया गया था:—

क्र0 सं0	अनुदान/ मद	वाउचर सं/ दिनांक/ बिल सं0	पदाधिकारी / कर्मचारी	ऑनलाईन रोकड बही पृष्ठ संख्यां	अवधि जिसके लिये किया गया	अपेक्षित भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	5वां वित	92 से 98/20.03.23	7 पंचायत सदस्य	26	01.07.2022 से 01.09. 2022	4x7x300 =8400	6x7x300 12600	4200
2.	5वां वित	99/20.03.23	चौकीदार	26	02/2023 व बकाया अवधि 01. 04.2022 से 30.11.2022 तक	13700 (6500+7200)	16400	2700
							कुल	6900

उक्त किये गए अनुचित/अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/103 दिनांकः–11.02.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव खड़ानाल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मानदेय के रूप अधिक भुगतान किया गया ,जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त किये गए अनुचित/अधिक भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यो सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनर्रावृति न हों व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि ₹5.29/–लाख की आय–व्यय प्रविष्टियों की बैंक में पुष्टि न होने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सभा निधि की संयुक्त ऑनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹528675/– की प्रविष्टियां आय–व्यय के रूप में की

गई दर्शाई गई थी। निम्न आय–व्यय प्रविष्टियों के संबंध में पड़ताल हेतु समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा इन प्रविष्टियों की बैंक में भी पुष्टि नहीं हो पाई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी है:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)
1	सभा निधि	आर/19/16.12.2022	आय	Re construction Wall near Om Prakash so ranu ram house	17	150000
2	सभा निधि	आर/20/16.12.2022	आय	Re construction Wall near ex Pardhan rajinder kumar so prabhu ram	17	150000
3	सभा निधि	आर/16/16.12.2022	आय	Interest	17	4872
4	सभा निधि	पी/58/16.12.2022	व्यय	80 Bag Cement	19	32320
5	सभा निधि	पी/59/16.12.2022	व्यय	80 Bag Cement	19	32320
6	सभा निधि	पी/61/16.12.2022	व्यय	Uniform Chokidar	19	840
7	सभा निधि	पी/62/16.12.2022	व्यय	C/o csc Kharanal	19	54280
8	सभा निधि	आर/13/04.03.2024	आय	Office expenses received	23	32943
9	सभा निधि	आर/06/04.03.2024	आय	Mandeye,salary panchyat member,chokidar	23	71100
					कुल योग	528675

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/109 दिनांकः–14.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की आय–व्यय की प्रविष्टियां रोकड़ बही में दर्ज की गयी, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जाये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

14. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹13.10/– लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03/2023 व 08/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरो पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹13,10,432/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/111 दिनांक:–15.02.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–107 दिनांक:–15.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी,जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:—

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:—

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	14वां वित	103/29.03.23	12279	11052
2	14वां वित	106/29.03.23	12278	24332
3	14वां वित	36—39/01.03.23	12272	40488
4	14वां वित	47—51/17.03.23	12281	26940
5	14वां वित	55—57/27.03.23	12282	18632

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों के स्थान पर केवल पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर ही करवाये गए,जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है,जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्टर रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/113 दिनांक:—15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 107 दिनांक 15. 02.2025 द्वारा अवगत करवाया कि मस्टर—रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं

की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य एवं आंकड़ों रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

16. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" व विभिन्न परिशिष्टो के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जॉच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार जब कोई भुगतान किया जाता है या कार्य को मापा जाता है, तो माप दर्ज करने वाली पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर तिरछी लाल स्याही कर रेखाएं बना दी जाएंगी और भुगतान वाउचर की संख्या का संदर्भ देने हुए लागत के सार पर पृष्ठाकन किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/111 दिनांकः—15.02.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खड़ानाल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—107 दिनांकः—15.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र—34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

17 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/91 दिनांकः 05.02.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—107 दिनांकः—15.02.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	लैजर खाते (अधूरे प्रस्तुत)	7	29(1)
3.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

5	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	अनुदान रजिस्टर	8	34
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
12	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
13	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
14	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
15	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
16	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/91 दिनांकः–05.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

19.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत खड़ानाल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत खड़ानाल की अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो 03/2023 व 08/2023 के विभिन्न अनुदानो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/111 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही किये जा रहे है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में चयनित मासो 03/2023 व 08/2023 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.3 लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते ,निर्माण कार्यों के अतिरिक्त, तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की अन्य खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत प्राप्त राशि ,किये गए व्यय तथा शेष बची राशि की पुष्टि अंकेक्षण में नही हो सकी।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/111 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 107 दिनांकः–15.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त अवधि की अन्य खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन्हे तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

21 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009 2
दूरभाष–0177–2620046

2412-2416 24 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)461/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खड़ानाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009 2
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP KHARANAL BLOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-176115 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1699799.39	1124365.00	2824164.39	945207.00	1878957.39
2023-24	1878957.39	621714.00	2500671.39	1042590.00	1458081.39

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1687104.30	2590721.00	4277825.30	2493261.75	1784563.55
2023-24	1784563.55	2230469.00	4015032.55	2693443.00	1321589.55

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि०ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

27

30

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KHARANAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	52729.00	3592.00	56321.00	0.00	56321.00
		2023-24	56321.00	0.00	56321.00	0.00	56321.00
2	SDP	2022-23	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
		2023-24	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3	14TH FC	2022-23	316294.30	7560.00	323854.30	256234.00	67620.30
		2023-24	67620.30	0.00	67620.30	52610.00	15010.30
4	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1298081.00	1355717.00	2653798.00	1013175.75	1640622.25
		2023-24	1640622.25	349447.00	1990069.25	759811.00	1230258.25
5	MGNREGA	2022-23	0.00	1223852.00	1223852.00	1223852.00	0.00
		2023-24	0.00	1881022.00	1881022.00	1881022.00	0.00

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

28

ऊ

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या -4.1 (क))

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खंड बैजनाथ जिला कॉंगड़ा हि.प्र.176115

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत खड़ानाल के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31-03 -2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित/ एस.डी.पी/ वी. के .वी .एन. वाई /एस.डी.आर.ऍफ़ /पी.एम्.ए.वाई/एस.बी.एम/ सी.एस.सी.	के. सी .सी. बैंक बैजनाथ	20016004974	690341.34	840714.22
02	वी. के .वी .एन. वाई	एच.डी.एफ.बैंक बैजनाथ	23491450000685	100514	56250
03	14वां वितायोग	एच.डी.एफ.बैंक बैजनाथ	50100228981360	318186.60	1774.60
04	15 वां वितायोग	केनरा बैंक बैजनाथ	5073101003997	1298009	1318208.25
05	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			76882	84105
	कुल योग			2483932.94	2301052.07

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

29

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या –"7")

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176115

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत खड़ानाल में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 619 व 2023-24 में 632 परिवारों में ए.पी.एल.का रू 100/- प्रति परिवार तथा बी.पी. एल. का रू 100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	54598	619	100	61900	116498	36000	80498
2023-24	80498	632	100	63200	143698	26300	117398

2022-23 ए पी एल - 501x100=50100
बी पी एल -118x100 =11800
2023-24 ए पी एल – 514x100=51400
बी पी एल –118x100=11800

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

(30)

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या – "8.1" व "8.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.							
क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वि.रजि.पृ./ रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	साहिल गर्ग	21-04-2022	13-05-2022	002	200	0	200
2	हिमांशु वर्मा	23-04-2022	04-05-2022	002/389260	200	200	0
3	अमन कटोच	21-06-2022	14-07-2022	003/389261	200	200	0
4	रुपेश शर्मा	04-08-2022	18-08-2022	003/389262	200	200	0
5	कुलजीत कुमार	04-07-2022	26-08-2022	003	400	0	400
6	सचिन धीमान	07-12-2022	13-12-2022	004	200	0	200
7	दीप कुमार	07-12-2022	05-01-2023	004	200	0	200
8	अंकुश गुलेरिया	04-12-2023	09-01-2023 ?	004/389278	400	200	200
9	अभिनव शर्मा	31-01-2023	14-02-2023	005/389279	200	200	0
10	प्रदीप कुमार	16-02-2023	24-02-2023	005	200	0	200
11	दीवान्शु धवन	23-02-2023	20-03-2023	006/180366	200	200	0
12	मनीष कुमार	03-05-2023	19-05-2023	006/180364	200	200	0
13	अमरनाथ	13-05-2023	23-05-2023	006/180365	200	200	0
14	अजय कुमार	12-05-2023	06-06-2023	007/180352	200	200	0
15	साहिल	13-05-2023	06-06-2023	007/180353	200	200	0
16	संजय कुमार	11-05-2023	06-07-2023	007/180366	400	200	200
17	शुभम शर्मा	09-07-2023	20-07-2023	008/180355	200	200	0
18	पंकज गुलेरिया	09-07-2023	26-07-2023	008/180357	200	200	0
19	अक्षय कुमार	25-09-2023	30-10-2023	008/180363	400	200	200
20	रणवीर	24-09-2023	12-12-2023	008/180367	400	200	200
21	रमेश	12-05-2023	12-12-2023	009/180368	400	200	200
22	प्रदीप कुमार	09-11-2023	14-12-2023	009/180369	400	200	200
23	नवीन नंदा	07-11-2023	14-12-2023	009/180370	400	200	200
24	अखिल गर्ग	22-11-2023	14-12-2023	010/180371	200	200	0
25	रोहित कुमार	08-12-2023	18-12-2023	010/180372	200	200	0
26	सुनील दत्त	23-11-2023	09-02-2024	010/180373	400	200	200
27	आशीष कुमार	06-02-2024	12-02-2024	011/180374	200	200	0
28	अश्वनी कुमार	07-02-2024	16-02-2024	011/180375	200	200	0
29	अभिनव वर्मा	30-01-2024	20-02-2024	012/180376	200	200	0
30	चन्दन मेहरा	04-02-2024	04-03-2024	012/180388	200	200	0
31	अंकित	25-12-2023	14-03-2024	012	400	0	400
32	अंकज सिंह	04-03-2024	27-03-2024	012	200	0	200
				कुल	8400	5000	3400

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

31

परिशिष्ट –6 (पैरा संख्या – "9.1" व "9.2")

ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.14TH FC	106/29.03.23	Board with Writing	063/28.03.23	M/S Sanjay Art Tharu Market Paprola			1500	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.14TH FC	101/20.03.23	Sand(cft)	230/26.02.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttrala	180	57.855	10413.9	स्टॉक प्रविष्टिया प्रस्तुत नही की गई
		Agg.(cft)			350	46.882	16408.7	
		Boulder(cft)			150	40.897	6134.55	
3.14TH FC	100/20.03.23	Cement Bags	297307/15.03.2023	M/s HP Civil Supply Paprola	50	384.06	19203	स्टॉक प्रविष्टिया प्रस्तुत नही की गई
4.14TH FC	89/10.03.23	Sports/Gym Material	572/10.03.23	M/s Mehras Sports &Fitness Tika Nihang Kesar Bag Colony Palmpur			57800	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
515TH FC	42/10.03.23	Board with Writing	065/08.03.23	M/S Sanjay Art Tharu Market Paprola			1500	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.SF	33/04.08.23	UPS Battery,HDD ,Antivirus	2950/03.08.23	M/s Swastik Computer main Bazaar Paprola			6900	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
							119860.15	

नोट:–1 क्रम संख्या 1, 4, 5 व 6 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।
2. क्रम संख्या 1 से 6 तक की स्टॉक प्रविष्टियां, स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई।

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

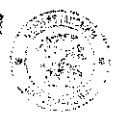

परिशिष्ट — 7 (पैरा संख्या — "9.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ानाल विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगड़ा द्वारा हि0प्र0 —176115 द्वारा क्रय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	14TH FC	105/P.11/29.03.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	234/27.03.2023	Sand	140	57.855	8099.70
					Carasher Bajari	260	46.882	12189.32
2	14TH FC	101/P.7/20.03.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	230/26.02.2023	Sand Crasher	180	57.855	10413.90
					Agg	350	46.882	16408.70
					Boulder	150	40.897	6134.55
3	15TH FC	40/10.03.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	219/14.02.2023	Sand Crasher	500	57.855	28927.50
					Agg(20mm)	980	46.882	45944.36
					Boulder Roda	800	40.897	32717.60
4	15TH FC	41/10.03.2023	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	220/26.02.2023	Agg(20mm)	90	46.882	4219.38
5	SDRF	35/P.31/17.08.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	250/08.07.2023	Sand	410	57.855	23720.55
					Agg(20mm)	770	46.882	36099.14
6	15TH FC	33/08.08,23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	248/29.07.2023	Sand	155	57.855	8967.53
					Agg(20mm)	275	46.882	12892.55
7	15TH FC	34/16.08.23	M/s Amit Mehta Amarpur Uttarala	249/04.08.2023	Sand	260	57.855	15042.30
					Agg(20mm)	500	46.882	23441.00
						कुल		285218.08

नोटः—उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई।

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, खड़ानाल
वि0ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

33